# न्यायालय जिला कलेक्टर,टोंक

(चिन्मयी गोपाल,आई0ए0एस0द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या 49 / 2020
प्रविष्टि दिनांक 17—8—2020

सूरजराम पुत्र कंवरपाल जाति मीणा निवासी पागड़ी तहसील उनियारा जिला टोंक राज0
—प्रार्थी

बनाम

1—तहसीलदार उनियारा जिला—टोंक
2—नायब तहसीलदार सोप जिला— टोक
—प्रतिपक्षीगण

**आवेदन अ0 धारा 54 राज0ले0रे0 एक्ट 1956**

उपस्थिति : (1) श्री दोलतराम चोधरी अभिभाषक प्रार्थी
(2) श्री मजहर आलम, अभिभाषक प्रतिपक्षीगण

<u>निर्णय</u> दिनांक 1—9—2021

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि प्रार्थी की खातेदारी एंव कब्जा काश्त की भूमि ख0नं0 346,347,356 / 459 रकबा 3.10 है0 वाके ग्राम पागड़ी में स्थित हे जो गलवा बांध उनियारा की पाल से सटी हुई है। इस भूमि से झरन व बरसात का पानी खसरा नम्बर 345 सरकारी भूमि में होकर गलवा नदी में जाता है। इस सरकारी भूमि ख0नं0 345 ग्राम पागड़ी मह0 उनियारा में हरीराम पुत्र छीतर मीणा निवासी पागड़ी ने अवैध रूप से मिट्‌टी की डोल लगादी जिससे प्रार्थी की भूमि तलाबनुमा बन कर पड़त रह गई। इस की शिकायत तहसीलदार व उपखण्ड अधिकारी उनियारा को की गई थी किन्तु तहसीलदासर ने अतिकमी हरीराम से मिलिभगत कर उसके विरूद्व कोई डोल हटवाने की कार्यवाही नहीं की। प्रार्थी द्वारा तहसीलदार उनियारा की शिकायत पर उपखण्ड अधिकारी उनियारा ने नायब तहसीलदार शोप को समस्या के समाधान के लिए मौके पर भेजा तो नायब तहसीलदार सोप द्वारा उक्त शिकायत का समाधान करने के बजाए पटवारी हल्का द्वारा प्रार्थी को सिविल जेल की सजा से दण्डित करने व प्रार्थी को हेरान परेशान करने के उद्‌देश्य से प्रार्थी के विरूद्व खसरा नम्बर 356 किस्म जमीन बारानी तृतीय ग्राम पागड़ी तहसील उनियारा के सम्बन्ध में पटवारी ने तहसीलदार सोप के समक्ष अतिक्रमण की शिकायत दिनांक 1—7—2020 को प्रस्तुत करदी। नायब तहसीलदार सोप द्वारा दिनांक 1—7—2020 को प्रार्थी के विरूद्व धारा 91 राज0 ले0रे0 एक्ट के अन्तर्गत प्रकरण सं0 39 / 2020 दर्ज कर कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई। जबकि ख0नं0 356 में कोई चरागाह,रास्ता,नाडी,खेल मैदान या अन्य कोई सार्वजनिक उपयोग की भूमि नहीं है। प्रार्थी को प्रतिपक्षीगण झूठी शिकायत के आधार पर मुकदमें में उलझाना चाहते हैं तथा शीघ्रता से प्रार्थी के विरुद्ध निर्णय करने पर अमादा हैं। प्रार्थी को प्रतिपक्षीगण से किसी प्रकार निष्पक्ष न्याय की उम्मीद नहीं है। इस कारण उक्त प्रकरण को अन्य सक्षम अधिकारी के यहॉ भिजवाया जाना तथा आवश्यक दिशा निर्देश दिया जाना आवश्यक है अन्यथा प्रार्थी को अपार हानि व अन्याय होगा।

Signature Not Verified
Digitally signed by Chinmayee Gopal
Date: 2022.02.01 11:45:33 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलेक्टर टोंक (राजस्थान) सत्यमेव जयते

जिला कलेक्टर
टोंक

पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर तलबी प्रतिपक्षीगण की गई। नायब तहसीलदार सोप से प्रार्थना पत्र मे अंकित बिन्दूओ पर टिप्पणी चाही गई। बहस अभिभाषकगण सुनी गई।

प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक ने दोराने बहस प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि भूमि खसरा नम्बर ख0नं0 356 में कोई चरागाह,रास्ता,नाडी,खेल मैदान या अन्य कोई सार्वजनिक उपयोगी भूमि नहीं है। प्रार्थी को प्रतिपक्षीगण झूठी शिकायत के आधार पर मुकदमें में उलझाना चाहते हैं तथा शीघ्रता से प्रार्थी के विरुद्ध निर्णय करने पर अमादा हैं। प्रार्थीगण को अधीनस्थ न्यायालय से न्याय की उम्मीद नही रही है। अतः उक्त वाद को न्यायालय नायब तहसीलदार सोप से तलब कर अन्य किसी सक्षम न्यायालय मे भिजवाया जावे अथवा न्यायोचित दिशा निर्देश जारी किये जावें।

अभिभाषक अप्रार्थीगण (पेरोकार सरकार) ने दोराने बहस कथन किया कि त्रकरण को यहॉ तलब करने व अन्य न्यायालय में स्थानान्तरण करने का कोई ठोस कारण नही है। नायब तहसीलदार सोप की रिपोर्ट पत्र कमांक 840 दिनांक 23–9–2020 को ही प्राप्त हो चुकी है जिसमें अंकित किया गया है कि प्रार्थी की समस्या समाधान हेतु प्रार्थी के आराजी खसरा नम्बरान के सटीक ख0 नं0 345 किस्म सिवायचक दर्ज है। ख0 नं0 345 व प्रार्थी की खातेदारी की भूमि के मध्य सिवाय भूमि 345 के अन्दर हरिराम पुंत्र छीतर मीणा ने आने जाने के लिए डोल लगा रखी है। प्रार्थी की समस्या समाधान हेतु नायब तहसीलदार सोप ने उक्त डोल में पूर्व में रखा हुआ छोडा पाईप बन्द होने पर उसमें बड़ा पाईप रखवाना चाहा, लेकिन पाइप नहीं रखने देने पर तहसीलदार उनियारा ने मौका देख कर पूर्व में रखे छोटे पाइप की जगह बड़ा पाइप रखवा दिया ताकि प्रार्थी के खेत में पानी इकट्ठा नहीं हो सके। ख0नं0 346,347,356/459 रकबा 3.10 है0 के समीप ख0नं0 345 व ख0 नं0 356 किस्म सिवायचक में कब्जा करने वालों के खिलाफ हल्का पटवारी द्वारा अतिकमण की रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर नियमानुसार निष्पक्ष धारा 91 की कार्यवाही जैरकार है। उस कार्यवाही को रोकने के उद्देश्य से यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। इसी वाद को अन्य न्यायालय मे भिजवाया जाना, या अन्य किसी प्रकार के आदेश जारी किया जाना उचित नही है। अतः प्रार्थना पत्र खारीज योग्य है।

हमने विद्वान अभिभाषक व पेराकार सरकार की बहस को सुना एंव मनन किया तथा पत्रावली व पत्रावली पर आये सबुत दस्तावेजों का ध्यान पूर्वक का अवलोकन किया। अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रकरण 39/20 की छायाप्रति से जाहिर है कि उक्त प्रकरण में न्यायालय उप तहसीलदार सोप मे विचाराधीन है। अभिभाषक प्रार्थी का कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय से न्याय की उम्मीद नही रही है, परन्तु प्रकरण को अन्य न्यायालय मे भिजवाने का कोई ठोस कारण नही बताया है। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र सारहीन व तथ्यहीन होने से खारीज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 1–9–2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(चिन्मयी गोपाल)
...र, टोक

Signature Not Verified

Digitally signed by Chinmayee Gopal
Date: 2022.02.01 11:45:33 IST
Reason: SelfAttested